डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471] भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 1996—आश्विन 8, शक 1918

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 1996

क्र. एफ-73-6-96-सी-3-36.—शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जन भागीदारी की दृष्टि से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:—

(क) शासकीय महाविद्यालयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उनके स्थानीय प्रबंधन को एक समिति को सौंपा जाएगा. यह समिति "मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973" के अन्तर्गत पंजीकृत की जाएगी.

(ख) इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिये स्थानीय नागरिकों से स्वेच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करें, विभिन्न गतिविधियों पर फीस लगाएं या बढ़ाएं और कन्सलटेंसी आदि के धन एकत्रित करें. इन संसाधनों का उपयोग यह समितिं महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिये कर सकेगी. समिति जन सहयोग के जरिये महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक पर्यावरण बनाने में सहायक होगी. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिये गये हैं, उनकी प्रबंध समिति को अकादमिक मामलों में भी स्वायत्तता होगी, अर्थात् ऐसी समितियां स्थानीय स्तर पर प्रवेश नियम बनायेंगी, पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेगी अध्ययन-अध्यापन परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की नई पद्धतियों का विकास करेंगी.

(ग) समिति के कार्य कलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जायेगा. यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी. इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा. राज्य शासन संबंधित नगर निकाय, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक अथवा सांसद में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त

करेगा. सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि होगा. सामान्य परिषद् में विधायक, सांसद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होंगे.

इस परिषद् में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, अभिभाषक, पूर्व विद्यार्थियों, स्थानीय संस्थाओं, दान-दाताओं, कृषकों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पोषक शालाओं आदि के प्रतिनिधि सदस्य होंगे. सामान्य परिषद् में अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि होंगे.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभाषक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों, परिषद् का सदस्य नामांकित किया जायेगा.

परिषद् में एक महिला अभिभाषक को सदस्य नामांकित किया जायेगा यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो.

दानदाताओं के प्रतिनिधि का नामांकन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जाएगाः—

1. दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों द्वारा दस हजार रुपये से अधिक दान देने वालों में से.

2. दस हजार से पचास हजार तक की आबादी वाले स्थान में रुपये पच्चीस हजार से अधिक दान देने वालों में से.

3. पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये पचास हजार से अधिक दान देने वालों में से.

4. एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक दान देने वालों में से. सामान्य परिषद् में नामजद किये जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामजद किये जाएं. महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के सदस्य सचिव होंगे.

साधारणतः सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होगी. आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी. परिषद् नीति-निर्धारण के साथ ही महाविद्यालय की गतिविधियों की सामान्य रूप से देखरेख करेगी. परिषद् के कार्य-कलापों की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है ताकि परिषद् के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो.

(घ) सामान्य परिषद् के अतिरिक्त समिति के कार्य कलापों के समुचित प्रबंधन के लिये प्रबंध समिति एवं वित्त समिति भी होगी.

(ङ) प्रबंध समिति सभी प्रबंध संबंधी मामलों के लिये जिम्मेदार होगी तथा यह सामान्य परिषद् के कार्य सम्पादन में भी सहायक होगी. सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा. संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिलाध्यक्ष एवं अन्य महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री उपाध्यक्ष होंगे. महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होंगे. लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख महाविद्यालय के दो शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, दानदाताओं, एक अशासकीय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे. प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी.

(च) वित्त समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होंगे. बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी व्यक्ति, महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक, संबंधित कोषालय अधिकारी या इनके द्वारा मनोनीत उप कोषालय अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे. वित्त समिति महाविद्यालय में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के कार्य में सहायता करेगी.

(छ) समिति द्वारा स्थानीय रूप से एकत्रित किये गये वित्तीय संसाधनों को किसी अनुसूचित बैंक में समिति की निधि के रूप में रखा जायेगा. इस निधि का व्यय समिति द्वारा स्वयं निर्धारित नियमों प्रक्रिया के अनुसार

महाविद्यालय की अधोसंरचना के विकास के लिये किया जायेगा. संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टड अंकेक्षणों द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा. महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी.

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा. सोशल, गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादेमिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जाएगा. इसके लिए नियम बनाये जायेंगे.

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी. तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी. ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेंगी.

(ज) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिये गये हैं उनमें अकादमिक परिषद् और अध्ययन मण्डल भी होंगे. अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय के अकादमिक कार्य कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे. इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियो एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित रहेगी.

(झ) समिति अपने कार्य के लिये कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी. महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी.

(त) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी. भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिये जायेंगे, जिनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय होगी, परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा.

(थ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है.

(द) यह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में लागू की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. अग्रवाल, उपसचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1996.

समिति का ज्ञापन

1. समिति का नाम .... होगा
2. समिति का पंजीयित कार्यालय .... में होगा
3. समिति की स्थापना का उद्देश्य ....

महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रुप से संसाधन एकत्रित करना, विभिन्न गतिविधियों एवं विषयों के अध्ययन के लिए शुल्क लगाना/ बढ़ाना और कन्सलटेन्सी आदि से धन एकत्रित करना । इस प्रकार जुटाये गये संसाधनों का उपयोग जन सहयोग के जरिये महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक वातावरण बनाने के लिए करना ।

स्वशासी महाविद्यालयों के मामले में समिति के निम्न अतिरिक्त उद्देश्य भी होंगे-

(क) अध्ययनक्रमों और पाठ्यक्रमों का निर्धारण

(ख) शासन के आरक्षण नियमों के अध्याधीन प्रवेश नियमों की रचना

(ग) परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की पद्धतियों का विकास

4. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संख्या 44 सन् 1973) के प्रावधानों के अतिरिक्त समिति के काम-काज के पुनरावलोकन हेतु राज्य शासन किसी एक या एकाधिक व्यक्तियों की नियुक्ति जांच-परख के लिए कर सकता है । ऐसे व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा समिति के मामलों की जांच के आधार पर राज्य शासन ऐसी कार्यवाही कर सकता है या ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो आवश्यक समझे और समिति ऐसे निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगी। महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रमों के संबंध में राज्य शासन आवश्यकतानुसार संबंधित समिति को निर्देश भी दे सकेगा ।

5. समिति के कार्य-कलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में विनियमों के अन्तर्गत प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा । समिति की सामान्य परिषद, जो कि सर्वोच्च सभा है, के प्राथमिक सदस्यों की नामावली और पते निम्नलिखित हैं:-

क्र.	नाम	पता	पद
1.		सबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकाय के सदस्य, विधायक या सांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष
2.		कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि	उपाध्यक्ष
3.		जहाँ महाविद्यालय स्थति है उस क्षेत्र का संसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य

5.	प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संस्थाओं, दानदाताओं, कृषकों, एवं पोषक शालाओं के एक--एक प्रतिनिधि	सदस्य
6.	अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि	सदस्य
7.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों ।	सदस्य
8.	एक महिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो ।	सदस्य
9.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
10.	महाविद्यालय का प्राचार्य	सदस्य सचिव

6. मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रम संख्या 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) के तहत समिति प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ इस संस्था के विनियमों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है ।

7. हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम ओर पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण, उपर्युक्त ज्ञापन के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन पर हमने निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किये हैं:-

क्र.	अंशदाता का नाम	पता	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

8. हम अधोहस्ताक्षरित यह प्रमाणित करते हैं, कि हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने हस्ताक्षर हमारे समक्ष अंकित किए हैं । यह भी घोषणा करते हैं, कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं ।

1. नाम	पता
2. नाम	पता

विनियम

.... समिति .... मध्यप्रदेश के विनियम

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 6(3) के अधीन परिभाषाऐं:-

) इन विनियमों, में, यदि विषय या प्रसंग के अनुसार अन्यथा अभीष्ट न हो तो

(क) महाविद्यालय से तात्पर्य है, (नाम) ------------------ शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(ख) समिति से तात्पर्य है, (नाम) ------------------ महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति

(ग) राज्य शासन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन

(घ) विश्वविद्यालय से तात्पर्य है, (नाम) ------------------ विश्वविद्यालय

(ङ) कुलपति से तात्पर्य है, (नाम) ------------------ विश्वविद्यालय का कुलपति

(च) आयुक्त से तात्पर्य है, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल

(छ) प्राचार्य से तात्पर्य है, संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य

समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

(1) सामान्य परिषद्

(2) प्रबन्ध समिति

(3) वित्त समिति

समिति द्वारा समस्त नीति निर्धारण एवं कार्य संचालन के कार्य उक्त सभाओं के माध्यम से किया जाएगा ।

ान्य परिषद

समिति के कार्यकलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जाएगा । यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी ।

सामान्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगें:-

क्र.	नाम	पता	पद
1.		संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकाय के सदस्य, विधायक या सांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष
2.		कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि	उपाध्यक्ष
3.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का सांसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4.		जहाँ महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5.		प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संस्थाओं, दानदाताओं, कृषकों, एवं पोषक शालाओं के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
6.		अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि	सदस्य
7.		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में न आये हों	सदस्य
8.		एक महिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो	सदस्य
9.		विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
10.		महाविद्यालय का प्राचार्य	सदस्य सचिव

टीप- क्रमांक 5,6,7 एवं 8 के अन्तर्गत् नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जायेंगे ।

(3) समिति की सामान्य परिषद् निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) महाविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण

(ख) पूर्व में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय-समय पर पुनरीक्षण

(ग) विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिये छात्रों द्वारा देय शुल्क दरों की संरचना तथा अन्य भुगतानों का निर्धारण

(घ) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियों के अलावा निजी संसाधनों से अनुपूरक निधियों के अर्जन की विधियाँ खोजना

(ड़) समिति के वार्षिक वित्तीय अनुमान पर विचार करना, उन्हें अंगीकृत करना

(च) समिति के वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं स्थिति विवरण पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना

(छ) प्रबंध समिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्तियाँ, अध्येत्तावृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदकों, पारितोषकों तथा प्रमाण-पत्रों को संस्थित करना

(ज) आगामी वर्ष के लिये संस्था के लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण

(झ) यदि आवश्यक हो तो समिति के विनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना

(ञ) महाविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण स्वीकृति हेतु राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित करना

(4) सामान्य परिषद् के कार्य संचालन की प्रक्रियाः-

(क) साधारणतः सामान्य परिषद की बैठक साल में दो बार होगी । आवश्यकतानुसार परिषद की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी

(ख) सामान्य परिषद् की बैठक की सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान स्पष्ट अंकित होगें । बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को पंजीयत डाक से कम से कम इक्कीस दिन पहले प्रेषित हो जानी चाहिए, किन्तु किसी विशेष बैठक के संदर्भ में अध्यक्ष इस समयावधि को घटा भी सकेगें

(ग) परिषद् की किसी भी सभा के लिय अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी, परन्तु किसी भी स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी

(घ) परिषद् की प्रत्येक बेठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभायेगें । अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यगण अपने बीच में से किसी एक का चुनाव केवल उस बैठक के लिये अध्यक्ष के रूप में करें गें

(ड़) अध्यक्ष सहित परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक-एक मत होगा । यदि किसी प्रकरण में दोनों पक्षों को बरावर मत प्राप्त होते हैं, तो उक्त स्थिति में अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा

(च) प्रत्येक बैठक के कार्यविवरण की प्रतिलिपि यथाशीघ्र आयुक्त,उच्च शिक्षा की ओर अग्रेषित की जाएगी

(5) सदस्यों की पंजीः-

(क) समिति की सामान्य परिषद द्वारा महाविद्यालय में अपने सदस्यों की एक पंजी रखी जाएगी और समिति के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य उसमें अपने हस्ताक्षर करेगा । पंजी में प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय एवं पता अंकित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को पंजी में पूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षर किये बिना अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के उपयोग हेतु योग्य नहीं माना जायेगा

(ख) सामान्य परिषद के किसी सदस्य के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे समिति के सचिव को सूचित करना होगा, यदि वह अपना नया पता सूचित नहीं कर पाता तो उसका पूर्व पता ही उस पंजी में मान्य होगा

(ग) सामान्य परिषद के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा तथा प्रत्येक मनोनीत सदस्य को पुर्नमनोनयन की पात्रता होगी

प्रबंध समिति

1. सामान्य परिषद के अतिरिक्त समिति के कार्यकलापों का समुचित प्रबंधन, प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा । प्रबंध

समिति का गठन निम्नानुसार होगाः–

(1) सामान्य परिषद का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा।

(2) संभागीय मुख्यालय में स्थिति महाविद्यालयों में जिले का कलेक्टर एवं अन्य महाविद्यालयों में आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा मनोनीत शिक्षाविद् उपाध्यक्ष होगें

(3) लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय का प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, जो मनोनीत किए जाऐंगे, विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सदस्य, जो प्राध्यापक स्तर से कम का न हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत एक सदस्य, सामान्य परिषद् का अशासकीय संगठन सदस्य, दानदाताओं एवं स्थानीय औद्योगिक संगठन का प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे

(4) महाविद्यालय के प्राचार्य समिति के सदस्य सचिव होगें

मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अविध के लिये होगा तथा इन व्यक्तियों को एक और कार्यकाल में पुनः मनोनयन की पात्रता होगी

प्रबंध समिति के कार्य

2. प्रबंध समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे, यथाः–

(क) संस्था के उपनियमों के अनुसार शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कर्मचारी वृन्द में अनुशासन लागू करना और बनाए रखना, किन्तु संस्था में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये राज्य शासन के नियम की लागू रहेंगें

(ख) महाविद्यालय के वित्तीय प्रबंध का नियंत्रण एवं निरीक्षण करना तथा व्यय के विनियमन हेतु उप नियमों का अनुमोदन करना

(ग) प्राचार्य को ऐसे वित्तीय अधिकार प्रदान करना, जो समिति संस्था की निधियों के संदर्भ में उपयुक्त समझे

(घ) स्वशासी महाविद्यालयों के मामले में अकादमिक परिषद् तथा वित्त समिति एवं अन्य में वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद, महाविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुल्क एवं अन्य भुगतानों की सामान्य–परिषद को अनुशंसा करना

(ङ) संस्थान की छात्रवृत्तियों, अध्येत्तावृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों, पारितोषकों एवं प्रमाण पत्रों को संस्थित करने की सामान्य परिषद को अनुशंसा करना

(च) दान तथा विन्यास को स्वीकार करना

(छ) सामान्य परिषद के कार्य संपादन में सहायक होना, एवं

(ज) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक कार्यो का संपादन

प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी । किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी

वित्त समिति

1. वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :–

(1)	प्राचार्य	अध्यक्ष
(2)	बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी एक व्यक्ति जिसे प्रबंध समिति द्वारा दो वर्ष के लिये मनोनीत किया जाएगा	सदस्य

(3) पारीक्रम से दो वर्ष के लिये प्राचार्य द्वारा मनोनीत महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक सदस्य

(4) महाविद्यालय, जिस जिले में स्थित है उसका कोषालय अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो उप कोषालय अधिकारी के पद से नीचे का न हो. सदस्य

2. वित्त समिति के कार्य

समिति के सभी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रकरणों में वित्त समिति सहायक होगी, विशेषतः निम्नलिखित कार्यो में, यथा

(1) प्रबंध समिति के अनुमोदनार्थ समिति की निधि के व्यय हेतु उपनियमों का प्रारुप बनाना

(2) वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (वार्षिक बजट) बनाना

(3) यह सुनिश्चित करना कि वार्षिक बजट (वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन) आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व सक्षम अधिकारी/ निकाय द्वारा विरचित व अनुमोदित है

(4) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय पर नियन्त्रण रखना एवं यदि आवश्यक हो तो बजट में संशोधन अनुशंसित करना

(5) लेखा वहीं खातों और तत्संबंधी खातों का अपेक्षित और समुचित रख रखाव कराना

(6) वार्षिक लेखा–जोखा तैयार कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना एवं उसे अंकेक्षकों को अग्रेषित करना

(7) अंकेक्षित प्रतिवेदनों पर विचार कर टिप्पणियाँ अंकित एवं प्रबंध समिति से अनुमोदित कराना

(8) सामान्य परिषद् के विचारार्थ अंकेक्षकों का पैनल प्रस्तावित करना, एवं

(9) ऐसे सभी प्रस्तावों का परीक्षण व अनुशंन जो पद रचना, पूंजी एवं अन्य व्यय की स्वीकृति से संबंधित हों

(3) निधि

निम्नलिखित संस्था की निधि के भाग होगें:–

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त समस्त राशियाँ

(ख) समस्त शुल्क एवं समिति द्वारा वसूल की जाने वाली अन्य राशियाँ

(ग) व्यक्तियों अथवा संस्थानों से अनुदान, उपहार, दान, सहायता राशि एवं वसीयत के रूप में प्राप्त सभी राशियां एवं अन्य सभी प्राप्तियाँ । संस्था की निधि भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट 1934 (क्र.2 सन् 1934) में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी तथा इसका व्यय सामान्य परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट तथा प्रबंध समिति द्वारा इस हेतु वित्त समिति की अनुशंसा पर बनाए गए उपनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिए किया जाएगा

राज्य शासन से महाविद्यालय को प्राप्त सभी प्राप्तियाँ उनमें से व्यय, लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमों से शासित होगें । संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टड अंकेक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी।

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा । सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत जैसी गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा । इसके लिए नियम बनाये जायेगें ।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी । तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी । ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेगी ।

केवल स्वशासी महाविद्यालयों के लिए

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिये गये हैं उनमें अकादमिक परिषद् और अध्ययन मण्डल भी होगें । अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय के आकदमिक कार्य-कलापों में स्वायत्ता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेगें । इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित रहेगी ।

अकादमिक परिषद

(अ) संरचना :-

(1)	प्राचार्य	अध्यक्ष
(2)	महाविद्यालय के सभी विभागों के वरिष्ठतम प्राध्यापक	सदस्य
(3)	शैक्षणिक स्टाफ के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार शिक्षक, जिनका मनोनयन प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में सेवा की वरिष्ठता के आधार पर पारीक्रम में किया जायेगा	सदस्य
(4)	प्रबंध समिति द्वारा मनोनीत महाविद्यालय से बाहर से कम से कम चार विशेषज्ञ जो उद्योग, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, आदि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों	सदस्य
(5)	विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत तीन प्रतिनिधि	सदस्य
(6)	प्राचार्य द्वारा मनोनीत एक शिक्षक	सदस्य सचिव

(ब) सदस्यों की पदावधि :-

मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी

(स) बैठकें :-

प्राचार्य वर्ष में कम से कम एक बार अकादमिक परिषद् की बैठक बुलाएगा

(द) कृत्य :-

अकादमिक परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, यथा

(1) अध्ययन मण्डलों द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों का परीक्षण करना और यथावत् अथवा किन्हीं परिवर्तनों के साथ अनुमोदन करना। किन्तु यहाँ अकादमिक परिषद् किसी प्रस्ताव से असहमत हो तो ऐसे प्रस्तावों को पुर्नविचार के लिये संबंधित अध्ययन मण्डल को लौटाने या कारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार होगा

(2) महाविद्यालयों में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश से संबंधित उप नियम बनाना

(3) परीक्षाओं के संचालन के लिये उप नियम बनाना

(4) महाविद्यालय के विद्यार्थियों के शिक्षण की गुणवत्ता, मूल्यांकन तथा छात्रों के मार्गदर्शक कार्यक्रमों में सुधार प्रक्रिया पहल करना

(5) खेलकूद तथा पाठ्येत्तर गतिविधियों, छात्रावास तथा खेल मैदानों के उचित रख रखाव एवं संचालन के लिये उपनियम बनाना

(6) प्रबंध समिति को अध्ययन के नये कार्यक्रमों के प्रस्ताव लागू करने के लिये अनुशंसा प्रेषित करना

(7) प्रबंध समिति को छात्रवृत्तियों, अध्येतावृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पारितोषकों एवं पदकों की अनुशंसा करना एवं उन्हें प्रदान करने के लिये उपनियम बनाना

(8) समिति को अकादमिक कार्यकलापों के विषय में परामर्श देना, एवं

(9) कार्य समिति द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों का संपादन करना

अध्ययन मण्डल

(अ) संरचना

(1)	संबंधित विभा का वरिष्ठतम प्राध्यापक	अध्यक्ष
(2)	विभाग के प्रत्येक विशेषज्ञता का एक शिक्षक	सदस्य
(3)	अकादमिक परिषद् द्वारा मनोनीत विषय के दो विशेषज्ञ, जो महाविद्यालय से बाहर के हों	सदस्य
(4)	प्राचार्य द्वारा अनुशंसित छः व्यक्तियों के पैनल में से कुलपति द्वारा मनोनीत एक विशेषज्ञ । यह पैनल संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा	सदस्य
(5)	जब भी अध्ययन के विशिष्ट विषयों का निर्धारण किया जाना हो, अध्यक्ष द्वारा प्राचार्य की सहमति से नामांकित महाविद्यालय के बाहर के विशेषज्ञ	सदस्य
(6)	संकाय के अन्य शिक्षक वृन्द	सदस्य

(ब) मनोनीत सदस्यों की पदावधि

मनोनीत सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी ।

(स) बैठकें :-

विभिन्न विभागों के अध्ययन मण्डलों की बैठकों का कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित किया जायेगा। बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी की जा सकेगी । परन्तु वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।

(द) कृत्य :-

महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग के अध्ययन मण्डल के नीचे लिखे अनुसार कृत्य होगें:-

(1) अकादमिक परिषद् को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने के प्रयोजन से महाविद्यालय के उद्देश्यों एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण

(2) नवोन्मेषकारी शिक्षण पद्धतियाँ एवं मूल्यांकन प्रतिविधियाँ प्रस्तावित करना

(3) अकादमिक परिषद को परीक्षकों की नियुक्ति हेतु नामों के पैनल प्रस्तावित करना, एवं

(4) शोध, अध्यापन, विस्तार तथा विभाग/ महाविद्यालय की अन्य अकादमिक गतिविधियों का समन्वयन

सामान्य

(क) समिति द्वारा राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई नया पद निर्मित नहीं किया जायेगा और न ही समिति

अपने कार्य के लिए पृथक से कोई स्टाफ नियुक्त करेगी ।

(ख) समिति अपने कार्य संचालन के लिए महाविद्यालय के किसी कर्मचारी को भी समिति की निधि से मानदेय स्वीकृत कर सकेगी ।

(ग) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से शासन द्वारा वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी, किन्तु भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिया जायेगा जिनकी उपलब्धियां उत्साहजनक होगी परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है ।

विविध

समिति की ओर से एवं समिति के लिये किये गये सभी अनुबंध समिति के सचिव द्वारा समिति के नाम पर क्रियान्वित किये जायेगें । समिति द्वारा अथवा समिति के विरुद्ध सभी वाद या प्रतिवाद समिति के सचिव के नाम पर होगें ।

:: प्रमाण-पत्र ::

हम सभी अधोहस्ताक्षरित प्रमाणित करते हैं, कि उपर्युक्त विवरण .... समिति .... के नियमों का सही एवं संपूर्ण विवरण है ।

कलेक्टर प्राचार्य अध्यक्ष